JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For the State of Goa and Union Territories)
3rd and 4th Floor, Plot No, 55-56, Udyog Vihar, Phase-IV,
Sector-18, Gurugram, Haryana-122015
Ph. No. 0124-4684705 E-mail: secy.jercuts@gov.in, Website: www.jercuts.gov.in

PUBLIC NOTICE

In exercise of the powers conferred under Sub-Section (l) and (2) (d) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories) hereby make the draft Joint Electricity Regulatory Commission (Specific Conditions of Distribution License Applicable to Chandigarh Power Distribution Limited) Regulations, 2026.

Accordingly, the draft Joint Electricity Regulatory Commission (Specific Conditions of Distribution License Applicable to Chandigarh Power Distribution Limited) Regulations, 2026 is available on the website of the Commission i.e., www.jercuts.gov.in.

The comments/suggestions on the above said draft Regulation may be forwarded to the Commission by post or by email, addressed to the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & Union Territories), 3rd & 4th Floor, Plot No. 55-56, Udyog Vihar, Phase- IV, sector- 18, Gurugram, Haryana 122015 (email: secy.jercuts@gov.in) latest by 20.05.2026.

Sd/-
Rajesh Dangi, Secretary (I/c)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For the State of Goa & UTs)
NOTIFICATION

Gurugram, the, XXXX, 2026

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (SPECIFIC CONDITIONS OF DISTRIBUTION LICENSE APPLICABLE TO CHANDIGARH POWER DISTRIBUTION LIMITED) REGULATIONS, 2026.

No. JERC-XX/2026.—In exercise of powers vested under Section 14, 15 and 16 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003, and Regulation 71 of the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories), hereby makes the following Regulations, namely: —

1. Short title, Extent and Commencement. –

1.1 These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission (Specific Conditions of Distribution License applicable to **Chandigarh Power Distribution Limited**) Regulations, 2026**.**

1.2 These Regulations shall extend to the license area specified in the Transfer Schemes 2025 notified by Chandigarh Administration in official gazette dated 31.01.2025 and 30.01.2026 as amended from time to time for Distribution of Electricity by **Chandigarh Power Distribution Limited** in Union Territory of Chandigarh. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 The provisions of these Regulations shall be supplemental to the other Regulations of the Commission and shall be construed harmoniously with them. In the event of any matter not specifically provided for in these Regulations, the provisions of the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020, shall apply.

2. Definitions:

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires: —

(a) **“Accounting Statement”** means for each financial year, accounting statements comprising, amongst other items, a profit and loss account, a balance sheet and a statement of sources and application of funds, together with notes and / or Schedules thereto and such other particulars and details and in the manner as the Commission may prescribe from time to time and showing the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve or provision, which has been either:

i. charged from the Licensed Business to any Other Business or vice versa together with a description of the basis of that charge; or
ii. determined by apportionment or allocation between the Licensed Business and any Other Business of the Licensee together with a description of the basis of the apportionment or allocation**.**

(b) **"Deemed Licensee"** means Chandigarh Power Distribution Limited (in short CPDL), a limited liability company incorporated under the Companies Act, 2013 on 23th April, 2022.

(c) "**Distribution system**" means the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumers including all assets transferred to CPDL under Transfer Scheme dated 31.01.2025 and 30.01.2026;

(d) **"Franchisee"** means a person authorised by the licensee to distribute electricity on its behalf in a particular area within his area of supply;

(e) "**General Conditions"** means conditions of the Licence which applicable to the Licensee specified in Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020.

(f) "Licensee" means Chandigarh Power Distribution Limited, as distribution licensee as defined in the Electricity Act, 2003;

(g) **"Specific Conditions"** mean Conditions of the Licence which is applicable to the Licensee as specified in these Regulations;

2.2 Words and expressions used in these Regulations if not specifically defined herein, but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Electricity Act, 2003, but if are not defined under the Act and Regulations of the Commission and defined under any other law enacted by Parliament and applicable to the electricity sector in the State or Union territory, shall have the meanings assigned to them under such law.

3. **Applicability**:

These Specific Conditions with respect to Chandigarh Power Distribution Limited and the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020 specifying the general conditions for Distribution Licensees, as may be in force from time to time, shall be deemed to be the conditions of licence of Chandigarh Power Distribution Limited, a Company incorporated under Companies Act, 2013, and having registered office at **4th Floor, SCO 33, 34 & 35, Sector 34A, Sector 34 Chandigarh, 160022**, the deemed licensee in accordance with the provisions of the Act for carrying on the Distribution of Electricity Business within its area of supply specified in the Transfer Scheme 2025.

4.. Area of Distribution" or "Area of Supply:

4.1 The Area of Supply within which the Distribution Licensee is authorized to supply electricity shall be the whole of the area as described in the Transfer Scheme Notifications issued by the Chandigarh Administration dated 31.01.2025 and 30.01.2026 as amended from time to time subject to such conditions and exclusions as specified in the said notification.

4.2 In case of events such as suspension / termination, or revocation/expiry of the licensee period etc., the Chandigarh Power Distribution Limited shall lose its status as a distribution licensee status from date of such event.

5. Terms / Tenure of the Licence:

5.1 CPDL is a deemed distribution licensee under the Electricity Act, 2003 and the license shall be valid for a period of 25 years till 31st January 2050, from the effective date for implementation of the Transfer Scheme, 2025 or until revoked or renewed in accordance with the Act and rule.

5.2 The Commission may Suo-moto or on application by the licensee may alter or amend or modify these Regulations subject to provision of Section 18 of the Act and Regulation 25 of the JERC (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020.

SPECIFIC CONDITIONS

6. Directions:

The Licensee shall comply with the Regulations, Guidelines, orders and directions issued by the Commission from time to time and shall also act, at all time, in accordance with these Regulations, except where the licensee obtains the prior written approval of the Commission for any deviation therefrom.

7. Inspection of Specific Conditions and Licence:

The Distribution Licensee shall make provision for public inspection of these Specific Conditions and its Licence, clearances or approvals, immediately after the date of notification of these Regulations.

8. Un-interrupted power supply:

The Distribution Licensee shall make provisions for uninterrupted power supply for twenty-four hours in a day within the area of supply.

9. Penalty:

9.1 The Licensee shall be liable for penal action under the applicable provisions of the Act and the Rules and the Regulations framed thereunder.

9.2 The Licensee shall be liable for action under Electricity Act, 2003 in appropriate cases for contravening any one or more of the provisions of these Regulations.

10 **Terms as to Suspension and Revocation:**

10.1 If at any time, the Commission is of the opinion that it is necessary in public interest, the Commission may, for reasons to be recorded in writing, suspend the licence of the Licensee in the circumstances, manner and form given in Section 24 of the Act.

10.2 Subject to the provisions of Section 19 of the Act and the Rules and Regulations made there under, the Commission may, at any time, initiate proceedings against the Licensee for

revocation of this Licence and if so, satisfied in such proceedings that the public interest so requires on the ground for revocation, revoke this Licensee in any of the following cases:

(a) where the Licensee, in the opinion of the Commission, makes a wilful or unreasonable default in doing anything required of it by or under the Electricity Act, 2003 or rules and regulations made there under; or

(b) where the Licensee, in the opinion of the Commission, committed a material breach of these Regulations or of any Regulations, codes and standards that the Commission may specify from time to time and has failed to rectify such breach within the time allowed by the Commission; or

(c) where the Licensee, in the opinion of the Commission, fails to comply with any order or direction issued by the Commission; or

(d) where the Licensee, commits an act which renders this License revocable on any other grounds specified in the Act or the Regulations.

11 **Transfer Scheme:**

Notwithstanding anything contained in these Regulations the Chandigarh Electricity Reforms Transfer Scheme, 2025 shall have an overriding effect on any provision of these Regulations that is contrary to or in conflict with the Chandigarh Electricity Reforms Transfer Scheme, 2025.

12 **Miscellaneous:**

12.1 The Licensee shall comply the directions of the Electrical Inspector pursuant to the power vested in it under the Electricity Act, 2003 and rules & regulations made there under.

12.2 The Licensee shall, in the event of a change in its constitution or existing share holding pattern, immediately, in no case later than fifteen (15) days from the date thereof, inform the Commission of such change. The Commission may, in its discretion, either amend or revoke the existing Licensee or require the Licensee to apply for a fresh License.

12.3 The Licensee shall submit such report, information, data in such form as called by the Commission from time to time.

13 **Dispute Resolution and Decision on Interpretation of these Regulations:**

13.1 All dispute in terms of licensed business shall be dealt in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003.

13.2 All issues arising in relation to interpretation of these Regulations shall be a matter for the determination of the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.

14 **Compliance with State Grid Code;**

14.1 The Licensee shall comply with the provisions of the JERC (State Grid Code) Regulation as amended from time to time, in so far as applicable to it.

15 **Compliance with the Distribution Code:**

15.1 The Licensee shall implement and comply with the JERC (Distribution Code) Regulations as amended from time to time.

16 **Energy Accounting and Audit:**

16.1 The Licensee shall implement and comply with the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals for Conduct of Energy Audit in electricity distribution companies) Regulations, 2021 as amended from time to time.

16.2 The Licensee shall conduct an annual energy audit for every financial year and submit the annual energy audit report to the Commission and also make available on its website within a period of four months from the expiry of the relevant financial year.

17 **Customer Charter:**

17.1 The Licensee shall prepare, publicise and adhere to a Customer Charter detailing all the rights, entitlements and responsibilities of the consumers and obligations of the Licensee relating to supply of electricity including the Licensee's guaranteed service levels and other aspects of their relationship under the Act and other applicable laws and regulations. The Customer Charter shall include among other things approved consumer complaint handling procedure, consumer right statement and consumer right to information regarding his connection, consumption, assessment, etc.;

18 **Consumer Complaint Handling Procedure:**

18.1 The Licensee shall comply with the Complaint Handling Procedure specified by the Commission. The Licensee shall:

(a) make a copy of the Complaint Handling Procedure, revised from time to time, available for inspection by the public at each of the relevant premises during normal working hours; and

(b) provide free of charge a copy of the Procedure revised from time to time to each new Consumer, and to any other person who requests it at a price not exceeding the cost of duplicating it.

19 **Consumer's Rights and Right to Information:**

19.1 The Licensee shall comply with the provisions of the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 as amended from time to time.

19.2 The Licensee, on request of the consumer, to the extent that is reasonably available to the Licensee provide:

(a) information on all services provided by the Licensee including the information on the charges or Tariff as approved by the Commission;

(b) information on meter readings for the electricity services provided to the consumer premises by the Licensee; and

(c) information on the status of the consumer's account with the Licensee;

Licensee may charge a reasonable amount for providing information under this section unless the information requested is of general nature.

20 **Compliance with the Laws, Rules and Regulations:**

The Licensee shall comply with the provisions of the Act and the Rules, and Regulations, Guidelines, Orders and Directions issued by the Commission from time to time.

20.1 The Licensee shall comply with the Regulations, Guidelines, Directions issued by the Central Electricity Authority and Central Electricity Regulatory Commission as applicable.

20.2 The Licensee shall comply with the Orders or Directions issued by the Consumer Grievances Redressal Forum (CGRF) or Ombudsman.

20.3 The Licensee shall act in accordance with these general conditions specified in the licence except where the Licensee is exempted specifically or permitted by the Commission for any deviation.

20.4 The Licensee shall comply with the orders and directions issued by the State Load Despatch Centre, STU and other statutory authorities in the discharge of their functions.

20.5 The Licensee shall adhere to the Standards of Performance Regulations and the Electricity Supply Code Regulations and as amended from time to time in regard to supply of electricity in his area of supply.

21 **Power to amend:**

The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

22 **Power to remove difficulties:**

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific Order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act as may appear to be necessary for removing the difficulty.

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, , XXXX 2026

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड पर लागू वितरण लाइसेंस की विशिष्ट शर्तें) विनियम, 2026.

सं. जेईआरसी (JERC) - XX/2026.– विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14, 15 एवं 16 को धारा 181 के साथ पढ़ते हुए तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) (पारेषण एवं वितरण लाइसेंसिंग) विनियम, 2020 के विनियम 71 एवं अन्य सक्षम शक्तियों के अंतर्गत, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात, आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: –

4. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

1.1 इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (**चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड** पर लागू वितरण लाइसेंस की विशिष्ट शर्तें) विनियम, 2026 कहा जा सकता है।

1.2 ये विनियम, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 31.01.2025 और 30.01.2026 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित हस्तांतरण योजना 2025 में निर्दिष्ट लाइसेंस क्षेत्र पर लागू होंगे। इन योजनाओं में समय- समय पर संशोधन किए गए हैं और ये चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में **चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड** द्वारा विद्युत वितरण के लिए हैं। ये विनियम, आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

1.3 इन विनियमों के प्रावधान आयोग के अन्य विनियमों के पूरक होंगे और उनकी व्याख्या उनके साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से की जाएगी। यदि कोई ऐसा मामला हो जिसका इन विनियमों में विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है तो गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण और वितरण लाइसेंसिंग) विनियम, 2020, के प्रावधान लागू होंगे।

5. परिभाषाएं:

2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: –

(क) **"लेखा विवरण"** का अर्थ है, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए ऐसा लेखा विवरण जिनमें अन्य मदों के साथ- साथ लाभ और हानि खाता, तुलन-पत्र और निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण शामिल हो। साथ ही, उनके संबंध में टिप्पणियां और/या अनुसूचियाँ तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां और विवरण एवं उस रीति से, जैसा कि आयोग समय-समय पर निर्धारित करे, और जो किसी भी राजस्व, लागत, परिसंपत्ति, दायित्व, आरक्षित निधि या प्रावधान की राशियों को दर्शाते हों, जो कि या तो:

iii. लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय द्वारा किसी अन्य व्यवसाय से (या इसके विपरीत) लिया गया शुल्क, जिसके साथ उस शुल्क के आधार का विवरण भी शामिल हो; या
iv. लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय और लाइसेंसधारी के किसी अन्य व्यवसाय के बीच किए गए आवंटन या विभाजन द्वारा निर्धारित, जिसके साथ ही उक्त आवंटन या विभाजन के आधार का विवरण भी दिया गया हो।

(ख) **"मानित लाइसेंसधारी"** का अर्थ है चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (संक्षेप में सीपीडीएल/CPDL), जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 23 अप्रैल 2022 को निगमित सीमित दायित्व वाली कंपनी है।

(ग) "**वितरण प्रणाली**" का अर्थ है, पारेषण लाइनों पर डिलीवरी बिंदुओं या उत्पादन स्टेशन कनेक्शन एवं उपभोक्ताओं की स्थापना से जुड़ने के बिंदु के बीच तारों और संबंधित सुविधाओं की प्रणाली जिसमें 31.01.2025 और 30.01.2026 की हस्तांतरण योजना के तहत सीपीडीएल (CPDL) को हस्तांतरित सभी संपत्तियाँ शामिल हैं;

(घ) **"फ्रैन्चाइज़ी"** का अर्थ है वह व्यक्ति, जिसे लाइसेंसधारी द्वारा अपने आपूर्ति क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र में, उसकी ओर से विद्युत वितरण हेतु अधिकृत किया गया हो;

(ङ) "**सामान्य शर्तें**" का अर्थ है लाइसेंस की वे शर्तें, जो गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण एवं वितरण लाइसेंसिंग) विनियम, 2020 में निर्दिष्ट लाइसेंसधारी पर लागू होती हैं।

(च) "लाइसेंसधारी" का अर्थ है चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जो विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित वितरण लाइसेंसधारी है;

(छ) **"विशिष्ट शर्तें"** का अर्थ है लाइसेंस की वे शर्तें जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट लाइसेंसधारी पर लागू होती हैं;

2.2 इन विनियमों में प्रयोग किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का, यदि यहाँ विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में परिभाषित है, तो वही अर्थ होगा जो उन्हें

विद्युत अधिनियम, 2003 में दिया गया है लेकिन यदि वे अधिनियम और आयोग के विनियमों के तहत परिभाषित नहीं हैं और संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के तहत परिभाषित हैं जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र पर लागू होता है, तो उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें उस कानून के तहत दिया गया है।

6. **प्रयोजनीयता**:

चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के संबंध में ये विशिष्ट शर्तें और गोवा एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण और वितरण लाइसेंसिंग) विनियम, 2020 जो वितरण लाइसेंसधारियों के लिए सामान्य शर्तें निर्धारित करते हैं और जो समय- समय पर लागू हो सकते हैं- उन्हें चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के लाइसेंस की शर्तें माना जाएगा। चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय चौथा **(4) तल, एससीओ 33, 34 और 35, सेक्टर 34ए, सेक्टर 34 चंडीगढ़- 160022** में है, और यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानित लाइसेंसधारी है जो हस्तांतरण योजना 2025 में निर्दिष्ट अपने आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत वितरण का कारोबार संचालित करती है।

4. "वितरण क्षेत्र" या "आपूर्ति क्षेत्र":

4.1 आपूर्ति का वह क्षेत्र जिसमें वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत आपूर्ति करने का अधिकार है, वह संपूर्ण क्षेत्र होगा जैसा कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दिनांक 31.01.2025 और 30.01.2026 को जारी हस्तांतरण योजना अधिसूचनाओं में वर्णित है (और जिसमें समय- समय पर संशोधन किए गए हैं) बशर्ते कि यह उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों और अपवादों के अधीन हो।

4.2 निलंबन/समाप्ति या लाइसेंस अवधि के रद्द किए जाने/समाप्त होने जैसी घटनाओं की स्थिति में, चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ऐसी घटना की तिथि से वितरण लाइसेंसधारी के रूप में अपना दर्जा खो देगा।

5. लाइसेंस की शर्तें/अवधिः

5.3 सीपीडीएल, विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत मानित वितरण लाइसेंसधारी है और यह लाइसेंस हस्तांतरण योजना, 2025 के लागू होने की प्रभावी तिथि से लेकर 31 जनवरी 2050 तक, या जब तक अधिनियम और नियमों के अनुसार इसे रद्द या नवीकृत न कर दिया जाए- 25 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा।

5.4 आयोग अधिनियम की धारा 18 और जेईआरसी (पारेषण और वितरण लाइसेंसिंग) विनियम, 2020 के नियम 25 के प्रावधानों के अधीन, स्वतः संज्ञान या लाइसेंसधारी के आवेदन पर, इन विनियमों में परिवर्तन, संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।

विशेष शर्तें

10. निर्देश:

लाइसेंसधारी, आयोग द्वारा समय- समय पर जारी किए गए विनियमों, दिशानिर्देशों, आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा, और हर समय इन विनियमों के अनुसार ही कार्य करेगा, केवल उन मामलों के अलावा, जहाँ लाइसेंसधारी इन विनियमों से किसी भी प्रकार के विचलन के लिए आयोग से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लेता है।

11. विशिष्ट शर्तें और लाइसेंस की जांच:

वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि के तत्काल बाद, इन विशिष्ट शर्तों और अपने लाइसेंस, क्लीयरेंस या अनुमोदनों के सार्वजनिक जांच की व्यवस्था करेगा।

12. निर्बाध विद्युत आपूर्ति:

वितरण लाइसेंसधारी, आपूर्ति क्षेत्र में दिन के चौबीसों घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करेगा।

13. जुर्माना:

22.1 लाइसेंसधारी पर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के लागू प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

22.2 लाइसेंसधारी पर इन विनियमों के किसी एक या एक से अधिक प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, उपयुक्त मामलों में विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

23 निलंबन और निरस्तीकरण संबंधी शर्तें:

23.1 यदि किसी भी समय, आयोग के विचार से जनहित में अनिवार्य मामले में, आयोग लिखित रूप से दर्ज कराए गए कारणों के आधार पर, अधिनियम की धारा 24 में दी गई परिस्थितियों, रीति और रूप में, लाइसेंसधारी के लाइसेंस को निलंबित कर सकता है।

23.2 अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, आयोग किसी भी समय, इस लाइसेंस को रद्द करने के लिए लाइसेंसधारी के विरुद्ध कार्यवाही शुरु कर सकता है और यदि ऐसी कार्यवाही में आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि जनहित के लिए लाइसेंस रद्द करना आवश्यक है तो वह निम्नलिखित में से किसी भी मामले में इस लाइसेंस को रद्द कर सकता है:

(क) जहाँ लाइसेंसधारी, आयोग के विचार से, विद्युत अधिनियम, 2003 या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा या उनके अधीन उससे अपेक्षित किसी कार्य को करने में जानबूझकर या अनुचित चूक करता है या

(ख) जहाँ लाइसेंसधारी ने, आयोग की राय में, इन विनियमों या किसी ऐसे विनियम, संहिता और मानक का कोई गंभीर उल्लंघन किया है जिसे आयोग समय- समय पर निर्दिष्ट कर सकता है और आयोग द्वारा अनुमत समय के भीतर ऐसे उल्लंघन को ठीक करने में विफल रहा है; या

1. जहाँ लाइसेंसधारी, आयोग के विचार में, आयोग द्वारा जारी किसी आदेश या निर्देश का पालन करने में विफल रहता है; या

2. जहाँ लाइसेंसधारी कोई ऐसा काम करता है जिसके कारण यह लाइसेंस अधिनियम या विनियमों में निर्दिष्ट किसी अन्य आधार पर रद्द किए जाने योग्य हो जाता है।

24 **हस्तांतरण योजना:**

इन विनियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, चंडीगढ़ विद्युत सुधार अंतरण योजना, 2025 का इन विनियमों के किसी भी ऐसे प्रावधान पर अधिभावी प्रभाव होगा जो चंडीगढ़ विद्युत सुधार अंतरण योजना, 2025 के विपरीत या उसके साथ विरोधाभासी हों।

25 **विविध :**

25.1 लाइसेंसधारी, विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत उसे प्राप्त अधिकारों के अनुसार, विद्युत निरीक्षक के निर्देशों का पालन करेगा।

25.2 लाइसेंसधारी, अपनी संरचना या वर्तमान शेयर- होल्डिंग पैटर्न में किसी भी प्रकार के बदलाव की स्थिति में, तत्काल- और किसी भी स्थिति में परिवर्तन की तिथि से पंद्रह (15) दिनों से अधिक देर किए बिना- आयोग को ऐसे बदलाव की सूचना देगा। आयोग, अपने विवेक से, या तो वर्तमान लाइसेंस में संशोधन कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है अथवा लाइसेंसधारी से नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अपेक्षा कर सकता है।

25.3 लाइसेंसधारी, आयोग द्वारा समय-समय पर मांगे जाने पर, ऐसी रिपोर्ट, जानकारी और डेटा उस रूप में प्रस्तुत करेगा जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो।

26 **विवाद समाधान और इन विनियमों की व्याख्या पर निर्णय:**

26.1 लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय से संबंधित सभी विवादों का निपटारा, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

26.2 इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दे आयोग के निर्णय का विषय होंगे और ऐसे मुद्दों पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

27 **राज्य ग्रिड संहिता का अनुपालन;**

27.1 लाइसेंसधारी, जेईआरसी (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम के उन प्रावधानों का पालन करेगा, जिनमें समय- समय पर संशोधन किया गया हो, और जो उस पर लागू होते हों।

28 **वितरण संहिता का अनुपालन:**

28.1 लाइसेंसधारी जेईआरसी (वितरण संहिता) विनियम को लागू करेगा और उनका पालन करेगा, जिनमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं।

29 **ऊर्जा लेखांकन और लेखा-परीक्षा:**

29.1 लाइसेंसधारी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा-परीक्षा करने का तरीका और अंतराल) विनियम, 2021 को लागू करेगा और उनका पालन करेगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

29.2 लाइसेंसधारी प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए वार्षिक ऊर्जा लेखापरीक्षा कराएगा और संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर वार्षिक ऊर्जा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा और अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराएगा।

30 **उपभोक्ता विशेषाधिकार:**

30.1 लाइसेंसधारी एक उपभोक्ता विशेषाधिकार दस्तावेज़ तैयार करेगा, उसे प्रचारित और उसका अनुपालन करेगा। इस विशेषाधिकार दस्तावेज़ में उपभोक्ताओँ के सभी अधिकारों, हकदारियों और उत्तरदायित्वों का एवं विद्युत आपूर्ति संबंधित लाइसेंसधारी के दायित्वों का विस्तृत विवरण होगा। इसमें लाइसेंसधारी के गारंटीकृत सेवा स्तर और अधिनियम एवं अन्य लागू कानूनों और विनियमों के तहत उनके आपसी संबंधों के अन्य पहलू भी शामिल होंगे। उपभोक्ता विशेषाधिकार दस्तावेज में अन्य बातों के साथ- साथ, उपभोक्ता शिकायतों के निपटारे की अनुमोदित प्रक्रिया, उपभोक्ता अधिकारों का विवरण और अपने कनेक्शन, खपत, मूल्यांकन आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उपभोक्ता का अधिकार शामिल होगा।

31 **उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया:**

31.1 लाइसेंसधारी आयोग द्वारा निर्धारित शिकायत निवारण प्रक्रिया का पालन करेगा। लाइसेंसधारी:

(क) शिकायत निवारण प्रक्रिया की एक प्रति (जो समय-समय पर संशोधित होती रहती है) को, सामान्य कार्यघंटों के दौरान, संबंधित परिसरों में से प्रत्येक पर जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखेंगे; और

(ख) समय-समय पर संशोधित प्रक्रिया की एक प्रति प्रत्येक नए उपभोक्ता को निःशुल्क प्रदान करेंगे और किसी भी अन्य व्यक्ति को, जो इसकी मांग करता है, उसे उपलब्ध कारएंगे लेकिन उपलब्ध कराने की लागत दस्तावेज़ की प्रतिलिपि बनाने की लागत से अधिक न हो।

32 **उपभोक्ता के अधिकार और सूचना का अधिकार:**

32.1 लाइसेंसधारी, समय-समय पर संशोधित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के प्रावधानों का पालन करेगा।

32.2 लाइसेंसधारी, उपभोक्ता के अनुरोध पर, उस सीमा तक जो लाइसेंसधारी के लिए यथोचित रूप से उपलब्ध हो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा:

(d) लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के बारे में जानकारी, जिसमें आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क या प्रशुल्क के बारे में जानकारी भी शामिल है;

(e) लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता के परिसर में प्रदान की जाने वाली विद्युत सेवाओं के लिए मीटर रीडिंग से संबंधित जानकारी; और

(f) लाइसेंसधारी के पास उपभोक्ता के खाते की स्थिति के बारे में जानकारी;

लाइसेंसधारी इस धारा के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कारने के लिए एक उचित राशि वसूल कर सकता है बशर्ते मांगी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की न हो।

33 **कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन:**

लाइसेंसधारी अधिनियमों और नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा जो आयोग द्वारा समय- समय पर जारी किए जाते हैं।

33.1 लाइसेंसधारी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों, दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन करेगा, जैसा कि लागू हो।

33.2 लाइसेंसधारी, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ/CGRF) या लोकपाल द्वारा जारी किए गए आदेशों या निर्देशों का पालन करेगा।

33.3 लाइसेंसधारी, लाइसेंस में बताई गई इन सामान्य शर्तों के अनुसार ही काम करेगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ लाइसेंसधारी को विशेष रूप से छूट दी गई हो या आयोग द्वारा किसी भी विचलन की अनुमति दी गई हो।

33.4 लाइसेंसधारी अपने कार्यों के निर्वहन के दौरान, राज्य लोड डिस्पैच सेंटर, एसटीयू, और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए आदेशों एवं निर्देशों का पालन करेगा।

33.5 लाइसेंसी अपने आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति के संबंध में निष्पादन मानक विनियमों और विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमों का पालन करेगा और इनमें समय- समय पर किए गए संशोधनों का भी पालन करेगा।

34 **संशोधन का अधिकार:**

आयोग, किसी भी समय, इन विनियमों के किसी भी प्रावधन में परिवर्तन, फेरबदल, संशोधन या सुधार कर सकता है।

35 **समस्याओं को दूर करने का अधिकार:**

यदि इन विनियमों के प्रावधानों को लागू करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आयोग सामान्य या विशिष्ट आदेश के माध्यम से ऐसे प्रावधान लागू कर सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों के असंगत न हों और जो उस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।